अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

सुनील कुमार बनाम गौपाल वगै0

किस्म मुकदमा—प्रा0पत्र 251क मु0नं0—36/2024

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0500 है0 किस्म बंजड, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.2300 है0 किस्म चाही, खसरा नम्बर 204 रकबा 1.6300 है0 वाके ग्राम सिकराय डूंगर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है, उक्त वर्णित भूमि में जाने हेतु एवं मात्र रास्ता पुरातन से ही ग्राम सिकराय के गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 3050 से 3053, 3054 से होकर जाता है जो कि पुरातन से स्थापित एवं उपयोग उपभोग में है इसके अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि तक जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि तक जाने वाले रास्ते को बंद करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि तक जाने हेतु 30 फीट का रास्ता दिया जावे। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड डाक से की गई है। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार सिकराय से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिकराय ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ग्राम सिकराय स्थित आ.ख.न. 3050 रकबा 0.09है0 किस्म गै0मु0 रास्ता है जो मौके पर चालू है जिसमें ग्रेवल सडक बनी हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। प्रार्थी /वादी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 3051 रकबा 0.51 है0 में से रास्ते की लम्बाई 48 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित है जिसे नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस प्रार्थी अधिवक्ता के मनन तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 203 किस्म चाही तक जाने हेतु प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट में प्रस्तावित मार्ग ही सबसे छोटा मार्ग है, एवं यदि खसरा नम्बर 3051 में होकर प्रस्तावित रास्ते अनुसार रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी खसरा नम्बर 3051 वाके रामा सिकराय जो अप्रार्थीगण की भूमि है एवं 204 वाके रामा सिकराय डूंगर जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है में होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 203 तक पहुंच सकता है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी मार्ग भी होगा ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

251(क) R.T.A. सुनील कुमार बनाम गोपाल वगैरह 36/2024

अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 251क स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 203 तक जाने हेतु खसरा नम्बर 3051 में होकर तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश नजरी नक्शे अनुसार 48 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई का रास्ता डी.एल.सी. की दोगुना राशि पर स्वीकृत किया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार सिकराय एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार राशि जमा कर स्वीकृत रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करें, जमा की गई राशि नियमानुसार खातेदारान को देय होगी। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा